



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 906]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 2019/फाल्गुन 8, 1940

No. 906]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2019/PHALGUNA 8, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2019

का.आ. 1040(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाएगा:—

आदेश

राष्ट्रपति, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित का.आ. 3755(अ), तारीख 27 नवंबर, 2017 भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा पन्द्रहवें वित्त आयोग का गठन में किया गया था और श्री शक्तिकांत दास को उक्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

और, श्री शक्तिकांत दास ने उक्त आयोग के सदस्य के पद से त्यागपत्र दे दिया था और राष्ट्रपति ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 6142(अ) तारीख 12 दिसंबर, 2018 द्वारा एक आदेश को, 11 दिसंबर, 2018 से उक्त त्यागपत्र को स्वीकार किया था;

अतः, अब, वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) की धारा 3, 4 और 6 के साथ, पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति, वित्त आयोग के सदस्य के रूप में श्री अजय नारायण झा को 1 मार्च, 2019 से नियुक्त करते हैं और इस उद्देश्य के लिए तारीख 27 नवंबर, 2017 के पूर्वोक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

उक्त आदेश में, पैरा 1 में, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"1. श्री अजय नारायण झा,
वित्त सचिव,
भारत सरकार - सदस्य"

ह/-
राम नाथ कोविंद
भारत के राष्ट्रपति

नई दिल्ली,
तारीख: 27 फरवरी, 2019

[फा.सं.10(1)-बी(एस)/2016]
अरविंद श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (बजट)

टिप्पण : वित्त आयोग के गठन के लिए मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) का.आ. 3755(अ) तारीख 27 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th February, 2019

S.O. 1040(E).—The following Order made by the President to be published for general information:-

ORDER

Whereas, the Fifteenth Finance Commission has been constituted by the President by an order of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 3755(E), dated the 27th November, 2017 and Shri Shaktikanta Das was appointed as one of the Member of the said Commission.

And whereas, Shri Shaktikanta Das had resigned as Member from the said Commission and the President had pleased to accept the said resignation with effect from the 11th December 2018 by an order of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 6142(E), dated the 12th December, 2018;

Now, therefore, in pursuance of clause (1) of article 280 of the Constitution, read with sections 3, 4 and 6 of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951), the President is pleased to appoint Shri Ajay Narayan Jha as Member of the Finance Commission with effect from the 1st March, 2019 and for that purpose makes the following amendment in the aforesaid Order dated the 27th November, 2017, namely:-

In the said Order, in paragraph 1, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“1. Shri Ajay Narayan Jha, - Member”
Finance Secretary,
Government of India

Sd/-

RAM NATH KOVIND
President of India

New Delhi

Dated the 27th February, 2019

[F. No. 10(1)-B(S)/2016]
ARVIND SHRIVASTAVA, Jt. Secy. (Budget)

Note: The Principal order for constitution of the Finance Commission was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3755(E), dated the 27th November, 2017.